

उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान (संशोधन)
अधिनियम, 1962

(संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 26, 1962)

**THE UTTAR PRADESH DOOKAN AUR VANIJYA
ADHISHTHAN ADHINIYAM, 1962**

(U.P. Act No. XXVI of 1962)

उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1962¹

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26, 1962]

उ० प्र० अधिनियम संख्या 54, 1976

उ० प्र० अधिनियम संख्या 35, 1979

उ० प्र० अधिनियम संख्या 29, 2018

उ० प्र० अधिनियम संख्या 18, 2019

द्वारा संशोधित

[उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 25 सितम्बर, 1962 ई० तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने संशोधन सहित दिनांक 1 नवम्बर, 1962 ई० की बैठक में स्वीकृत किया जिसको उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 5 नवम्बर, 1962 ई० की बैठक में स्वीकृत किया।

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 201 के अन्तर्गत राष्ट्रपति ने 18 दिसम्बर, 1962 ई० को स्वीकृति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 26 दिसम्बर, 1962 ई० को प्रकाशित हुआ।]

दुकानों और वाणिज्य अधिष्ठानों में कार्य और नियोजन की दशाओं के विनियमन से सम्बद्ध विधि का समेकन और संशोधन करने के लिए,

अधिनियम

भारत गणतंत्र के तेरहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

अध्याय—1

प्रारम्भिक

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य-अधिष्ठान अधिनियम, 1962 कहलायेगा।

संक्षिप्त शीर्ष नाम
प्रसार और प्रवृत्ति

(2) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) अनुसूची 1 में निर्दिष्ट इस अधिनियम के उपबन्ध उक्त अनुसूची में उल्लिखित क्षेत्रों में उस मात्रा में प्रवृत्त होंगे जिसका कि निर्देश उस अनुसूची में किया गया है और राज्य सरकार, गजट में विज्ञप्ति देकर, समय-समय पर, यह निर्देश दे सकती है कि इस अधिनियम के सब या कोई उपबन्ध ऐसे क्षेत्रों के संबंध में और उतनी मात्रा में भी प्रवृत्त होंगे, जिसका कि निर्देश उस विज्ञप्ति में किया जाय।

2—विषय या प्रसंग में किसी बात के प्रतिकूल न होने पर, इस अधिनियम में —

परिभाषाएं

(1) “शिक्षु”, का तात्पर्य किसी व्यापार या व्यवसाय में नियोजक (employer) द्वारा शिक्षण के प्रयोजनार्थ मजदूरी पर या बिना मजदूरी के नियोजित ऐसे व्यक्ति से है जिसकी आयु 12 वर्ष से कम न हो ;

1. उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिए दिनांक 15 सितम्बर, 1962 ई० का सरकारी असाधारण गजट देखिये।

¹[(1-क) "मुख्य निरीक्षक का तात्पर्य धारा 29 के अधीन नियुक्त मुख्य निरीक्षक से है इसमें उक्त धारा के अधीन नियुक्त उप-मुख्य निरीक्षक या निरीक्षक भी सम्मिलित है ;]

(2) "बच्चा" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो चौदह वर्ष का न हो चुका हो ;

(3) "बन्द" का तात्पर्य खण्ड (13) के अर्थ में खुला न होने से है ;

(4) "वाणिज्य-अधिष्ठान" का तात्पर्य किसी भू-गृहादि से है जो, फैक्टरी के भू-गृहादि या दुकान न हों और जहां कोई व्यापार, कारोबार, निर्माण (manufacture) या उससे सम्बद्ध अथवा उसका आनुषांगिक या सहायक कोई काम लाभ के लिये किया जाता हो और इसके अन्तर्गत ऐसे भू-गृहादि भी हैं जहां पत्रकारिता या मुद्रण का कार्य अथवा रुपये के लेन-देन, बीमा, स्टाफ तथा अंश, दलाली या उत्पाद-विनिमय का कारोबार किया जाता हो अथवा जो थियेटर या सिनेमा के रूप में या किसी अन्य सार्वजनिक विनोद या मनोरंजन के लिए प्रयुक्त होता हो अथवा जहां फैक्टरी के लिपिक तथा अन्य कर्मचारीगण, जिन पर फैक्टरीज ऐक्ट, 1948 के उपबन्ध प्रवृत्त न होते हों, कार्य करते हों ;

(5) "दिन" का तात्पर्य मध्यरात्रि से प्रारम्भ होने वाली 24 घंटे की अवधि से है ;

प्रतिबन्ध यह है कि उस कर्मचारी के विषय में, जिसके कार्य का समय मध्यरात्रि के बाद तक हो, दिन का तात्पर्य उसके कार्य के प्रारम्भ होने के समय से 24 घंटे की अवधि से है ;

(6) "कर्मचारी" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो नियोजक द्वारा किसी दुकान या वाणिज्य-अधिष्ठान में किए जाने वाले किसी व्यापार, कारोबार या निर्माण में अथवा उसके संबंध में, मजदूरी पर अनन्यतः या मुख्यतः नियोजित हो और इसके अंतर्गत निम्नलिखित भी है :—

(क) अवेक्षक, माली या पहरा और रक्षा दल (Watch and ward) का कोई सदस्य ;

(ख) फैक्ट्री या औद्योगिक अधिष्ठान के लिपिक या अन्य कर्मचारीगण, जो फैक्टरीज ऐक्ट, 1948 के उपबन्धों के अन्तर्गत न आते हों ; और

ऐक्ट संख्या 63,
1948

(ग) कोई शिशु या ऐसा व्यक्ति जो ठेके पर कार्य करता हो या जिसे कार्य की मात्रा के अनुसार वेतन दिया जाता हो ;

(7) "नियोजक" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है, जिसका यथास्थिति दुकान या वाणिज्य-अधिष्ठान में किए जाने वाले व्यापार, कारोबार या निर्माण (manufacture) पर स्वामित्व हो या जो उसका प्रभारी हो अथवा जिसका उस पर अंतिम रूप से नियंत्रण हो, और इसके अन्तर्गत उक्त व्यापार, कारोबार या निर्माण के प्रबन्ध या नियंत्रण में नियोजक की ओर से काम करने वाला प्रबन्धक या अभिकर्ता या कोई अन्य व्यक्ति भी है ;

(8) "फैक्ट्री" का वही अर्थ होगा जो फैक्टरीज ऐक्ट, 1948 में दिया गया है, किन्तु इसके अन्तर्गत वे भू-गृहादि नहीं हैं, जहां फैक्ट्री के ऐसे लिपिक या अन्य कर्मचारीगण कार्य करते हों, जिन पर उक्त ऐक्ट के उपबन्ध प्रवृत्त न हों ;

ऐक्ट संख्या 63,
1948

(9) नियोजक के सम्बन्ध में "परिवार" का तात्पर्य उस नियोजक के, यथास्थिति, पति या पत्नी, पुत्र, पुत्री, पिता, माता, भाई या बहिन से है, जो उसके साथ रहते हों और उस पर पूर्णरूप से आश्रित हों ;

1. उ० प्र० अधिनियम सं० 54, 1976 की धारा 2 (i) द्वारा प्रतिस्थापित ।

(10) "इन्स्पेक्टर" का तात्पर्य इस अधिनियम की धारा 29 के अधीन नियुक्त निरीक्षक, उप मुख्य निरीक्षक या मुख्य निरीक्षक से है ;

(11) "छुट्टी" का तात्पर्य काम पर से सवेतन अनुपस्थित रहने की उस अवधि से है, जिसका कर्मचारी इस अधिनियम के अध्याय 3 के अधीन हकदार हो ;

(12) "रात्रि" का तात्पर्य लगातार बारह घंटों की ऐसी अवधि से है जो इस प्रकार नियत की जाए कि 10 बजे रात्रि और 6 बजे प्रातःकाल के बीच का समय सदैव इसके अन्तर्गत हो ;

(13) दुकान या वाणिज्य-अधिष्ठान के सम्बन्ध में "खुला" का तात्पर्य किसी ग्राहक की सेवा के लिए या दुकान या वाणिज्य-अधिष्ठान में सामान्यतः किए जाने वाले कारोबार, व्यापार अथवा निर्माण के लिए खुले होने से है ;

1[(13-क) किसी दुकान या वाणिज्य अधिष्ठान के संबंध में "स्वामी" के अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति भी है जो ऐसी दुकान या वाणिज्य अधिष्ठान चलाता हो या उसका प्रभारी हो;]

(14) "नियत" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा नियत से है ;

(15) "फुटकर व्यापार या कारोबार" का तात्पर्य माल की छोटी मात्राओं में बिक्री तथा ग्राहकों की सेवा से है और नाई या केश-प्रसाधक का व्यवसाय, पकाए हुए भोजन, जल-पान या मादक द्रव की बिक्री तथा नीलाम द्वारा फुटकर बिक्री भी इसके अन्तर्गत हैं ; ऐक्ट संख्या 63, 1948

(16) "दुकान" का तात्पर्य किसी ऐसे भू-गृहादि से है, जहां थोक या फुटकर व्यापार या कारोबार किया जाता हो अथवा जहां ग्राहकों की सेवा की जाती हों, और इसके अन्तर्गत वे समस्त कार्यालय, गोदाम या भांडार भी हैं, जो ऐसे व्यापार या कारोबार के सम्बन्ध में प्रयोग में लाए जाते हों, चाहें वे उसी भू-गृहादि में हों या न हों ;

(17) "राज्य" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य से है ;

(18) "मजदूरी" का तात्पर्य धन के रूप में अभिव्यक्त या अभिव्यक्त होने योग्य ऐसे समस्त पारिश्रमिक (चाहे वह वेतन के रूप में हों या भत्ते के रूप में या अन्य किसी रूप में) से है, जो नियोजन की अभिव्यक्त या विवेक्षित शर्तें पूरी हो जाने की दशा में कर्मचारी को देय होगा और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी है :—

(क) कोई बोनस ;

(ख) कर्मचारी को उसके नियोजन की समाप्ति के कारण देय कोई धनराशि; और

(ग) उसके नियोजन की शर्तों के अधीन देय कोई अतिरिक्त पारिश्रमिक ।

(19) "सप्ताह" का तात्पर्य एक शनिवार की मध्य रात्रि से लेकर अगले शनिवार की मध्य रात्रि तक की अवधि से है ; और

(20) "तरुण" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो न तो बच्चा हो और न सत्रह वर्ष का हो चुका हो ।

3-(1) इस अधिनियम के उपबन्ध निम्नलिखित पर प्रवृत्त न होंगे :-

अधिनियम के
उपबन्ध कतिपय
व्यक्तियों दुकानों
और वाणिज्य -
अधिष्ठानों पर
प्रवृत्त न होंगे

(क) ऐसे कर्मचारी जो किसी ऐसी दुकान या वाणिज्य-अधिष्ठान में, जिसमें पांच से अधिक व्यक्ति नियोजित हों, गोपनीय, प्रबन्धकीय या पर्यवेक्षी प्रकार के पदों पर हों :

प्रतिबन्ध यह है कि इस प्रकार विमुक्त कर्मचारियों की संख्या ऐसी दुकान या वाणिज्य-अधिष्ठान के कर्मचारियों की कुल संख्या के दस प्रतिशत से अधिक न होगी ;

(ख) ऐसे कर्मचारी जिनका कार्य स्वाभाविक रूप से सविराम हो, जैसे यात्री या प्रार्थक (कनवेसर) ;

(ग) सरकारी या स्थानीय प्राधिकारियों के कार्यालय ;

(घ) रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्यालय ;

(ङ) अस्वस्थ, अशक्त, निराश्रित या मानसिक रूप से अयोग्य व्यक्तियों के उपचार या उनकी देखभाल के लिए अधिष्ठान ; और

(च) नियोजक के परिवार के सदस्य।

(2) उपधारा (1) के खण्ड (क) में उल्लिखित कर्मचारियों की एक सूची दुकान या वाणिज्य-अधिष्ठान में प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित की जायगी और उसकी एक प्रति सम्बद्ध निरीक्षक को भेजी जायगी।

(3) राज्य सरकार, लोक-हित में, गजट में विज्ञप्ति द्वारा, किसी दुकान या वाणिज्य-अधिष्ठान अथवा दुकानों या वाणिज्य-अधिष्ठानों के किसी वर्ग को ऐसी शर्तों पर जो वह तदर्थ आरोपित करे, इस अधिनियम के समस्त या किसी उपबन्ध के प्रवर्तन से विमुक्त कर सकती है।

दुकानों या वाणिज्य
अधिष्ठानों के किसी
वर्ग को अधिनियम
के प्रवर्तन से
विमुक्त करने का
सरकार का
अधिकार

(4) राज्य सरकार, उसी प्रकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा उपधारा (3) के अधीन दी गई किसी विमुक्ति को, पूर्णतः या अंशतः, स्थायी रूप से या ऐसी अवधि के लिए जो निर्दिष्ट की जाय, वापस ले सकती है।

राज्य सरकार द्वारा
विमुक्ति का वापस
लिया जाना

4-इस अधिनियम में दी गई किसी बात से किसी ऐसे अधिकार या विशेषाधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ेगा, जिसका कोई कर्मचारी उस दिनांक को जब यह अधिनियम उस पर प्रवृत्त होना प्रारम्भ हो, उक्त दिनांक को प्रचलित किसी विधि, अधिनिर्णय (Award), अनुबन्ध, संविदा, रूढ़ि या प्रथा के अनुसार हकदार हो।

व्यावृत्ति

1[अध्याय 1-क]

दुकानों और वाणिज्य अधिष्ठानों का रजिस्ट्रीकरण

4-क-मुख्य निरीक्षक उन समस्त दुकानों और वाणिज्य अधिष्ठानों का, जिन पर यह अधिनियम लागू होता है, एक रजिस्टर ऐसे प्रपत्र में रखेगा और जिसमें ऐसा विवरण दिया जायगा जैसा नियत किया जाय ;

दुकानों और
वाणिज्य अधिष्ठानों
का रजिस्टर

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे रजिस्टर विभिन्न क्षेत्रों और वाणिज्य अधिष्ठानों के लिये भिन्न-भिन्न रखे जा सकते हैं।

4-ख-¹[(1) ऐसे दुकान या वाणिज्यिक का प्रत्येक स्वामी ऐसे कारोबार के प्रारम्भ होने के छः माह के भीतर अथवा उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान (संशोधन) अधिनियम, 1976 के प्रारम्भ होने के छः माह के भीतर, जो भी पश्चात्पूर्वी हो, अपनी दुकान या वाणिज्यिक अधिष्ठान के रजिस्ट्रीकरण के लिए निरीक्षक को आवेदन करेगा और यदि उसका आवेदन सभी प्रकार से पूर्ण हो, तो उस दुकान या वाणिज्यिक अधिष्ठान का रजिस्ट्रीकरण यथाविहित रीति से आवेदन प्रस्तुत किए जाने के दिनांक से एक दिन से भीतर प्रदान किया जायेगा:] **रजिस्ट्रीकरण**

परन्तु यदि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी स्वीकृत करता है या स्वीकृत करने से अस्वीकार करता है या स्वीकृति करने के लिए आपत्ति करता है या संशोधन आदेश पारित करता है तो रजिस्ट्रीकरण, इस उपधारा के अधीन उल्लिखित समय से पश्चात् स्वीकृत किया गया समझा जायेगा।

(1-क) आवेदक अपना आवेदन-पत्र आवश्यक दस्तावेजों और फीस संदाय सहित विभागीय वेब पोर्टल पर प्रस्तुत कर सकता है। ऐसे मामले में, यदि आवेदन-पत्र सभी प्रकार से पूर्ण हो और आवेदक पात्र हो तो वेब पोर्टल द्वारा स्वतः रजिस्ट्रीकरण मंजूर कर लिया जायेगा तथा रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र ई-मेल के माध्यम से भेज दिया जायेगा ;

परन्तु यह है कि यदि रजिस्ट्रीकरण, तथ्य के दुर्व्यपदेशन द्वारा या तथ्य को छिपाकर अथवा कूटरचित दस्तावेज के आधार पर प्राप्त किया गया हो तो ऐसा रजिस्ट्रीकरण, अकृत एवं शून्य समझा जायेगा तथा उसे रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी द्वारा निरस्त किया जा सकता है और आवेदक के विरुद्ध विधिसम्मत कार्यवाही की जायेगी :

परन्तु यह और कि स्वीकृत किये गये रजिस्ट्रीकरण पर विचार, दुकान या वाणिज्यिक अधिष्ठान के स्वामित्व के सम्बन्ध में नहीं किया जायेगा।¹

2[(2) उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिये प्रत्येक आवेदन-पत्र ऐसे प्रपत्र में होगा और उसके साथ ऐसी फीस होगी, जैसी नियत की जाय ।

(3) मुख्य निरीक्षक अपना यह समाधान होने पर कि नियत फीस जमा कर दी गई है, धारा 4-क के अधीन रखे गये रजिस्टर में दुकान या वाणिज्य अधिष्ठान को दर्ज करेगा और स्वामी को ऐसे प्रपत्र में और ऐसे रीति से, जैसी नियत की जाय, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र देगा।]

4-ग-³ [“4-ग-धारा 4-ख के अधीन स्वीकृत रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र, उस अवधि तक के लिए विधिमान्य होगा जिस अवधि तक के लिये दुकान और वाणिज्यिक अधिष्ठान विद्यमान हो।”] **रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र की विधिमान्यता**

1. उ० प्र० अधिनियम सं० 29, 2018 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

2. उ० प्र० अधिनियम सं० 54, 1976 की धारा 3 द्वारा बढ़ाया गया।

3. उ० प्र० अधिनियम सं० 18, 2019 की धारा 2 द्वारा बढ़ाया गया।

1[4-घ— जब कोई रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र खो जाय, नष्ट हो जाय, फट जाय या विरूपित हो जाय या अपठनीय हो तो मुख्य निरीक्षक नियत रीति से और नियत फीस देने पर रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र की दूसरी प्रति देगा।]

**रजिस्ट्रीकरण
प्रमाण-पत्र की
दूसरी प्रति**

अध्याय-2

कारोबार का समय

5-(1) कोई दुकान या वाणिज्य-अधिष्ठान, जो अनुसूची 2 में उल्लिखित दुकान या वाणिज्य-अधिष्ठान न हो, किसी भी दिन, न तो ऐसे समय के पूर्व खुलेगा और न ऐसे समय के पश्चात् बन्द होगा, जो तदर्थ नियत किया जाय ।

कारोबार का समय

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों के होते हुए भी दुकानों या वाणिज्य-अधिष्ठानों के विभिन्न वर्गों के लिए, या विभिन्न क्षेत्रों के लिए या वर्ष की विभिन्न अवधियों में पहले खोलने या बाद में बन्द करने का समय नियत किया जा सकता है ।

(3) राज्य सरकार, किसी भी समय, गजट में विज्ञप्ति द्वारा, दुकानों या वाणिज्य-अधिष्ठानों के किसी वर्ग को अनुसूची 2 में बढ़ा सकती है या उसमें से निकाल सकती है ।

6-(1) कोई नियोजक किसी कर्मचारी से एक दिन में उसके —

**काम का समय और
अधिसमय**

(क) बच्चा होने की दशा में पांच घंटे ;

(ख) तरुण होने की दशा में छः घंटे ; और

(ग) कोई अन्य कर्मचारी होने की दशा में आठ घंटे से अधिक काम करने

की अपेक्षा नहीं करेगा और न उसे उससे अधिक काम करने देगा :

प्रतिबन्ध यह है कि किसी ऐसे कर्मचारी से जो तरुण या बच्चा न हो, उपर्युक्त समय से अधिक काम करने की अपेक्षा की जा सकती है या उसे उक्त समय से अधिक काम करने दिया जा सकता है, किन्तु इस प्रकार कि स्टॉक सन्हालने या लेखा तैयार करने के दिन के सिवाय किसी अन्य दिन काम का कुल समय (जिसमें अधिसमय भी सम्मिलित है) दस घंटे से अधिक न हो :

1. उ० प्र० अधिनियम संख्या 35, 1979 की धारा 3 द्वारा बढ़ाया गया।

प्रतिबन्ध यह भी है किसी तिमाही में अधिसामयिक (overtime) काम का समय [एक सौ पच्चीस]¹ घंटे से अधिक न होगा।

स्पष्टीकरण—“तिमाही” का तात्पर्य पहली जनवरी या पहली अप्रैल या पहली जुलाई या पहली अक्टूबर का प्रारम्भ होने वाली तीन मास की निरन्तर अवधि से है।

(2) ऐसे कर्मचारी को, जिसने उपधारा (1) के खण्ड (ग) के अधीन निश्चित काम के समय के अतिरिक्त काम किया हो उसके नियोजक द्वारा, ऐसे अतिरिक्त समय के काम के प्रत्येक घंटे के लिए साधारण दर की दुगुनी दर से मजदूरी दी जायगी।

स्पष्टीकरण 1—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए “साधारण दर” का तात्पर्य आधारभूत मजदूरी तथा ऐसे भत्ते से है (जिसके अन्तर्गत कर्मचारियों को अनाज तथा अन्य पदार्थों की रियायती दर पर बिक्री से होने वाले लाभ के बराबर नकदी भी है), जो कर्मचारी तत्समय पाने का हकदार हो किन्तु इसके अन्तर्गत बोनस नहीं है।

स्पष्टीकरण 2—कर्मचारी को अधिसामयिक (overtime) काम के लिए देय मजदूरी की गणना करने में एक दिन काम के आठ घंटों का माना जायगा।

7—किसी दुकान या वाणिज्य-अधिष्ठान में काम के घंटों की व्यवस्था इस प्रकार की जायगी कि प्रत्येक कर्मचारी को लगातार पांच घंटे से अनधिक काम करने के पश्चात् कम से कम आधे घंटे का विश्राम मिले और किसी कर्मचारी के काम के समयों तथा विश्राम के अन्तर्कालों का कुल विस्तार एक दिन में बारह घंटों से अधिक का न हो :

विश्राम के लिए अन्तर्काल और एक दिन में काम के घंटों का विस्तार

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार लोक-हित में और ऐसी शर्तों पर जो वह आवश्यक या इष्टकर समझे, विस्तार की उक्त अवधि को या तो सामान्यतः या दुकानों या वाणिज्य-अधिष्ठानों के किसी विशेष वर्ग के लिए बढ़ा सकती है।

अध्याय—3

अवकाश के दिन और छुट्टी

8—(1) प्रत्येक नियोजक अपनी दुकान या वाणिज्य-अधिष्ठान को, जो अनुसूची 2 में सम्मिलित नहीं है —

(क) सप्ताह में एक दिन ; और

(ख) वर्ष में ऐसे सार्वजनिक अवकाश के दिनों (public holidays) पर, जो नियत किए जायें, बन्द रखेगा और ये दिन यहां आगे बन्दी के दिन कहे जायेंगे।

(2) बन्दी का दिन (जो सार्वजनिक अवकाश के उपलक्ष में बन्दी का दिन न हो) किस दिन पड़ना चाहिए इसका निश्चय, राज्य सरकार द्वारा तदर्थ नियुक्त प्राधिकारी के अनुमोदन के अधीन रहते हुए, नियोजक करेगा। नियोजक दुकान या वाणिज्य-अधिष्ठान में किसी प्रमुख स्थान पर एक नोटिस प्रदर्शित करेगा जिसमें बन्दी के समस्त दिनों का उल्लेख होगा।

(3) नियोजक द्वारा बन्दी के दिन में परिवर्तन वर्ष में एक बार से अधिक अथवा उपधारा (2) के अधीन नियुक्त प्राधिकारी का नियत रीति से अनुमोदन प्राप्त किए बिना नहीं

1. उ० प्र० अधिनियम सं० 29, 2018 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित। (पचास के स्थान पर)

किया जायगा। इस प्रकार का कोई भी परिवर्तन अगले वर्ष की पहली जनवरी से प्रभावी होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि किसी स्थान के नियोजक सप्ताह के किसी विशेष दिन को बन्दी के दिन के रूप में नहीं मनाते, तो उपधारा (2) के अधीन नियुक्त प्राधिकारी, नियत रीति से, किसी विशेष दिन को उस स्थान के लिए बन्दी का दिन निश्चित कर सकता है :

प्रतिबन्ध यह भी है कि प्राधिकारी, किसी स्थान के अधिकांश नियोजकों की लिखित प्रार्थना पर बन्दी का दिन निश्चित किए जाने के दिनांक के छः मास के बाद किसी भी समय, ऐसे दिनांक से जो उसके द्वारा निर्दिष्ट किया जाय, उक्त बन्दी के दिन में यदि वह सार्वजनिक अवकाश का दिन न हो परिवर्तन कर सकता है।

स्पष्टीकरण — “स्थान” का तात्पर्य ऐसे संपार्श्विक (compact) क्षेत्र से है जिसे उपधारा (2) के अधीन नियुक्त प्राधिकारी, सार्वजनिक सूचना द्वारा, इस रूप में घोषित करे।

9—प्रत्येक कर्मचारी को, जो चौकीदार या अवेक्षक (caretaker) न हो, नियोजक द्वारा निम्नांकित दिनों का अवकाश दिया जायगा :—

(1) प्रत्येक बन्दी के दिन का जो सार्वजनिक अवकाश का दिन हो ; और

(2) प्रत्येक सप्ताह में एक पूरे दिन का :

प्रतिबन्ध यह है कि खण्ड (2) की कोई बात किसी ऐसे कर्मचारी पर प्रवृत्त न होगी, जिसकी सप्ताह में नियोजन की कुल अवधि (जिसके अन्तर्गत छुट्टी पर रहने का दिन या अवकाश का दिन भी है) छः दिन से कम हो:

10—(1) प्रत्येक कर्मचारी, जो एक ही नियोजक के निरन्तर नियोजन में बारह मास या उससे अधिक समय से हो, धारा 9 के अधीन अनुमत किसी अवकाश के साथ-साथ, उक्त सेवा के प्रत्येक बारह मास के लिए कम से कम पन्द्रह दिन की उपार्जित छुट्टी पाने का भी हकदार होगा ;

उपार्जित छुट्टी,
अस्वस्थता संबंधी
छुट्टी तथा
आकस्मिक छुट्टी

प्रतिबन्ध यह है कि चौकीदार या अवेक्षक, जो बारह मास या उससे अधिक समय से निरन्तर नियोजन में हो, उक्त सेवा के प्रत्येक बारह मास के लिए कम से कम साठ दिन की उपार्जित छुट्टी पाने का हकदार होगा।

(2) प्रत्येक कर्मचारी, जो एक ही नियोजक के निरन्तर नियोजन में छः मास या उससे अधिक समय से हो, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो नियत की जाय, किसी एक कलेण्डर वर्ष में कम से कम पन्द्रह दिन की अस्वस्थता सम्बन्धी छुट्टी पाने का भी हकदार होगा।

(3) प्रत्येक कर्मचारी, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो नियत की जाये, उपार्जित छुट्टी और अस्वस्थता सम्बन्धी छुट्टी के साथ-साथ प्रत्येक कलेण्डर वर्ष में कम से कम दस दिन की आकस्मिक छुट्टी पाने का हकदार होगा।

(4) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए, समस्त छुट्टियां प्रार्थना-पत्र दिए जाने पर स्वीकृत की जायेंगी।

(5) ऐसी उपार्जित छुट्टी, जो किसी कर्मचारी ने किसी वर्ष में न ली हो, उस उपार्जित छुट्टी में जोड़ दी जायगी जो उक्त कर्मचारी को अगले वर्ष के लिए प्राप्य हो :

प्रतिबन्ध यह है कि किसी भी समय कर्मचारी को देय उपार्जित छुट्टी की कुल अवधि 45 दिन से अधिक न होगी।

(6) उपधारा (1) या (2) के अर्थ में कर्मचारी के निरन्तर नियोजन की अवधि की गणना करने में वह अवधि सम्मिलित कर ली जायगी, जिसमें कर्मचारी इस धारा के अधीन पर रहा हो।

(7) यदि नियोजक कर्मचारी की सेवाएं समाप्त कर दे, या कर्मचारी ही नियोजन समाप्त कर दे, तो नियोजक, कर्मचारी को उतने दिनों की मजदूरी का देनदार होगा, जितने दिनों की उपार्जित छुट्टी उसे देय हो।

11-(1) जब किसी ऐसे कर्मचारी को, जिसे पैंतालिस दिन की उपार्जित छुट्टी देय हो, ऐसी छुट्टी अस्वीकृत की जाय, तो वह अस्वीकृत छुट्टी की अवधि के लिये उस धनराशि का हकदार होगा जो कि उसके उस अवधि में छुट्टी पर रहने की दशा में उसे मजदूरी के रूप में देय होती।

अस्वीकृत छुट्टी के विषय में भुगतान

(2) उपधारा (1) के अधीन देय धनराशि उस अवधि के लिये देय मजदूरी के अतिरिक्त होगी।

(3) कर्मचारी के उक्त धनराशि ले लेने पर उसे देय उपार्जित छुट्टी में से उतने दिन घटा दिये जायेंगे जिनके संबंध में वह धनराशि प्राप्त की गयी हो।

12-प्रत्येक अवकाश के दिन के लिये, और इस अधिनियम के अधीन दी गयी छुट्टी के प्रत्येक दिन के लिये, कर्मचारी ऐसी दर से मजदूरी पाने का हकदार होगा जो उस दर से कम न हो, जिस दर से मजदूरी पाने का हकदार वह अवकाश के दिन के या ली गयी छुट्टी के, ठीक पहले वाले दिन था, भले ही किसी अन्य विधि, संविदा, रुढ़ि या प्रथा में कोई विपरीत बात हो।

अवकाश के दिन और छुट्टी के लिए मजदूरी

अध्याय-4

मजदूरी में कटौतियां और सेवामुक्ति का नोटिस

13-(1) प्रत्येक नियोजक एक अवधि निश्चित करेगा (जिसे यहां आगे मजदूरी की अवधि कहा गया है), जिसकी समाप्ति पर, और जिसके संबंध में, उसके कर्मचारियों को मजदूरी देय होगी।

मजदूरी की अवधि

(2) कोई मजदूरी की अवधि एक मास से अधिक की न होगी।

(3) प्रत्येक कर्मचारी को मजदूरी ऐसी अवधि के भीतर दे दी जायगी जो नियत की जाय।

(4) छुट्टी की अवधि की छुट्टी न लेने के कारण कर्मचारी की देय पारिश्रमिक और उसके द्वारा उपार्जित मजदूरी का भुगतान कर्मचारी को -

(क) यदि नियोजक द्वारा या उसकी ओर से उसका (कर्मचारी का) नियोजन समाप्त किया जाय तो इस प्रकार नियोजन समाप्त किये जाने के पश्चात् दूसरे कार्य-दिवस की समाप्ति के पूर्व किया जायगा ; और

(ख) यदि कर्मचारी द्वारा अपना नियोजन समाप्त किया जाय तो अगले वेतन दिवस को या उसके पूर्व किया जायगा।

14—(1) ऐसे कर्मचारी द्वारा मांग की जाने पर, जो उपार्जित छुट्टी पर जा रहा हो, उसे उक्त छुट्टी की आधी अवधि की मजदूरी का, और उस छुट्टी के ठीक पूर्व की मजदूरी की अवधि की मजदूरी का भुगतान किया जायगा। उक्त छुट्टी की शेष आधी अवधि की मजदूरी, उसके काम पर वापस आने के बाद की प्रथम मजदूरी की अवधि की मजदूरी के साथ उसे देय होगी।

उपार्जित छुट्टी की अवधि के लिये मजदूरी का भुगतान

(2) अस्वस्थता-सम्बन्धी छुट्टी की अवधि की मजदूरी, कर्मचारी के काम पर वापस आने के बाद की प्रथम मजदूरी की अवधि की उसकी मजदूरी के साथ उसे देय होगी।

15—कर्मचारी के वेतन में से कटौतियां केवल उस सीमा तक और ऐसी रीति से की जायेगी, जो नियत की जाये।

मजदूरी में कटौतियां

16—नियोजक कर्मचारी पर, मजदूरी की अवधि के लिये उसे देय मजदूरी के तीन प्रतिशत से अधिक का अर्थ-दण्ड आरोपित न करेगा।

कर्मचारियों को अर्थ-दण्ड

17—(1) नियोजक नियत प्रपत्र में एक रजिस्टर रखेगा जिसमें समस्त आरोपित अर्थ-दण्ड तथा उनकी वसूली दर्ज की जायेगी।

अर्थ-दण्ड का रजिस्टर

(2) कर्मचारियों से वसूल किये गये अर्थ-दण्ड केवल उन्हीं प्रयोजनों के लिये काम में लाये जायेंगे, जो उनके लिये हितकारी हों और जो राज्य सरकार द्वारा तदर्थ अधिकृत प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित हों।

18—यदि कर्मचारी की मजदूरी का भुगतान इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन व्यवस्थित रीति से न किया जाय तो वह पेमेन्ट आफ वेजेज एक्ट, 1936 में व्यवस्थित रीति से इस प्रकार वसूल की जा सकेगी मानो वह उक्त एक्ट के अधीन देय मजदूरी (wages) हो।

मजदूरी की वसूली एक्ट संख्या 4, 1936

19—(1) ऐसे कर्मचारी को छोड़कर जो निर्दिष्ट अवधि के लिये या छुट्टी के कारण हुई रिक्ति में रखा गया हो, कोई अन्य कर्मचारी अपने नियोजक द्वारा सेवा से मुक्त न किया जायेगा सिवाय उस दशा के जब —

नियोजक द्वारा अपने कर्मचारी को सेवामुक्त किया जाना

(क) उसके द्वारा घृत पद की छंटनी कर दी गयी हो ; या

(ख) वह शारीरिक अशक्तता या लगातार अस्वस्थता के कारण अपने कर्तव्यों का पालन करने के अयोग्य हो ;

और उस पर ऐसा लिखित नोटिस तामील कर दिया गया हो जिसमें सेवामुक्त करने के कारण दिये हों। नोटिस कम से कम तीस दिन का या ऐसी अधिक अवधि का होगा जो नियोजन की शर्तों के अधीन अपेक्षित हो :

प्रतिबन्ध यह है कि सेवा मुक्ति का नोटिस उक्त अवधि से कम का भी हो सकता है यदि उसके साथ, उतने दिनों की मजदूरी का, जितने से वह नोटिस अपेक्षित अवधि से कम का हो, भुगतान किया जाय।

(2) उपधारा (1) की कोई बात अनाचार के कारण पदच्युत किये जाने पर प्रवृत्त न होगी।

20—(1) ऐसे कर्मचारी को छोड़कर जो निर्दिष्ट अवधि के लिये या छुट्टी के कारण हुई रिक्ति में रखा गया हो, कोई अन्य कर्मचारी तीस दिन का या ऐसी अधिक अवधि का, जो उसके नियोजन की शर्तों के अधीन अपेक्षित हो, नोटिस दिये बिना अपना नियोजन समाप्त नहीं करेगा।

कर्मचारी द्वारा नियोजन समाप्त किया जाना

(2) यदि कर्मचारी उपधारा (1) के उपबन्धों का अनुपालन न करे, तो पन्द्रह दिन से अनधिक अवधि की उसकी अदत्त मजदूरी उसके नियोजक के हक में जब्त की जा सकती है ।

अध्याय-5

बच्चों और स्त्रियों का नियोजन

21—ऐसे नियोजन में जो राज्य सरकार द्वारा विज्ञापित किया जाये शिशिक्षु के रूप में काम करने के सिवाय, न तो किसी दुकान या वाणिज्य-अधिष्ठान में काम करने की किसी बच्चे से अपेक्षा की जायगी और न उसे उसमें काम करने दिया जायगा ।

बच्चों के नियोजन का निषेध

1[22]—यदि किसी नियोजक का यह समाधान हो जाता है कि ऐसे दुकान या वाणिज्य अधिष्ठान में आश्रय, विश्राम कक्ष, रात्रि शिशु सदन, महिला प्रसाधन, उनकी सुरक्षा का पर्याप्त संरक्षण तथा दुकान या वाणिज्य अधिष्ठान से उनके निवास तक परिवहन की व्यवस्था विद्यमान है, तो वह स्त्री कर्मकार की सहमति प्राप्त करने के पश्चात् उसे रात्रि 9:00 बजे और प्रातः 6:00 बजे के मध्य कार्य करने दे सकता है ।]

रात्रि में स्त्रियों तथा बच्चों के नियोजन का निषेध

23—कोई भी नियोजक जानबूझ कर किसी स्त्री से, उसके बच्चा पैदा होने के बाद के दिन से छः सप्ताह की अवधि में, किसी दुकान या वाणिज्य-अधिष्ठान में न काम करने की अपेक्षा करेगा और न उसे काम करने देगा और न ऐसी कोई स्त्री उस अवधि में किसी दुकान या वाणिज्य-अधिष्ठान में काम करेगी ।

विशिष्ट अवधि में स्त्रियों के नियोजन का निषेध

24—(1) कोई गर्भवती स्त्री-कर्मचारी पूरे सात दिन का लिखित नोटिस देकर, अपने नियोजक से, उस अवधि तक अपने को कार्यमुक्त करने की अपेक्षा कर सकती है, जो प्रसव के सम्भावित दिनांक से पूर्व छः सप्ताह से अधिक न हो ।

गर्भवती होने पर अनुपस्थित रहने का अधिकार

(2) नोटिस मिलने पर नियोजक, उपधारा (3) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, उक्त स्त्री-कर्मचारी को, प्रसव के संभावित दिनांक को समाप्त होने वाली छः सप्ताह का अवधि के लिये, कार्य से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा देगा ।

(3) (क) नियोजक, नोटिस मिलने पर, उस स्त्री-कर्मचारी से, यदि वह चाहे तो किसी महिला डाक्टर से, अन्यथा किसी अर्हता सम्पन्न चिकित्सा-व्यवसायी या दार्ष्ट से, उस (नियोजक के) व्यय पर चिकित्सकीय परीक्षा कराने की अपेक्षा कर सकता है ।

(ख) यदि —

(1) स्त्री-कर्मचारी ऐसे चिकित्सकीय परीक्षा कराने से इंकार करे ; या

(2) उसकी उक्त परीक्षा किये जाने पर यह पाया जाय कि वह गर्भवती नहीं है, या यह कि उसके उस दिनांक से छः सप्ताह के भीतर प्रसव की कोई सम्भावना नहीं है जब से कार्य से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा मांगी गयी हो,

तो नियोजक उसे कार्य से मुक्त करने से इंकार कर सकता है, किन्तु यदि स्त्री-कर्मचारी गर्भवती पायी जाय तो प्रसव के सम्भावित दिनांक के पूर्व छः सप्ताह की अवधि के लिये उसे कार्य से अनुपस्थित रहने की अनुमति दी जायगी ।

2[25]—गर्भावस्था की दशा में कोई स्त्री कर्मचारी, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 के अधीन प्रसूति प्रसुविधा और प्रसूति अवकाश के लिए हकदार होगी ।]

प्रसूति छुट्टी

1. उ० प्र० अधिनियम सं० 29, 2018 की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित ।

2. उ० प्र० अधिनियम सं० 29, 2018 की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित ।

26—प्रत्येक स्त्री—कर्मचारी, जो अपने प्रसव के दिनांक से पहले कम से कम छः मास तक एक ही नियोजक के निरन्तर नियोजन में (चाहें एक ही दुकान या वाणिज्य—अधिष्ठान में या विभिन्न दुकानों या वाणिज्य—अधिष्ठानों में) रही हो अपने नियोजक से —

(क) प्रसव के दिन से ठीक छः सप्ताह पूर्व तक की अवधि के लिये ; और

(ख) प्रसव के दिन से छः सप्ताह बाद तक की अवधि के लिये, ऐसे प्रसूति—लाभों को और ऐसी रीति से पाने की हकदार होगी, जो नियत की जाय :

प्रतिबन्ध यह है कि कोई स्त्री—कर्मचारी किसी भी ऐसे दिन के लिये इस प्रकार का कोई लाभ पाने की हकदार न होगी, जिस दिन वह, उपर्युक्त अवधियों में से किसी भी अवधि में काम पर आती रही हो और उसके लिये मजदूरी पाती रही हो ।

27—स्त्री—कर्मचारी अपने बच्चे के स्तनपान की अवधि में, विश्राम के नियमित अन्तर्कालों के साथ—साथ उपर्युक्त प्रयोजन के लिये आध—आध घंटे के दो और अन्तर्कालों की हकदार होगी ।

विश्राम के लिये
अन्तर्काल

28—(1) कोई भी नियोजक किसी स्त्री—कर्मचारी को धारा 25 के अधीन काम से अनुपस्थित रहने की अनुमत अवधि में या उस अवधि में काम से अनुपस्थित रहने के कारण न तो सेवा से मुक्त करेगा और न सेवा से हटायेगा ।

प्रसूति के कारण
काम से अनुपस्थित
रहने की अवधि में
या अनुपस्थिति के
कारण, सेवामुक्त
करने या सेवा से
हटाने का निषेध

(2) यदि इन्सपेक्टर की यह राय हो कि ऐसा बिना पर्याप्त कारण से किया गया है तो, प्रसव के दिनांक के छः मास के भीतर सेवा से मुक्त कर दी जाने या हटा दी जाने के कारण ही कोई स्त्री—कर्मचारी उन प्रसूति—लाभों से वंचित नहीं की जायेगी जिनकी कि वह सेवा से मुक्त न होने या हटाये न जाने की दशा में हकदार होती ।

1[28—क— (1) प्रत्येक नियोजक को दुकान या वाणिज्य अधिष्ठान में नियोजित समस्त व्यक्तियों के लिए सुविधाजनक उपयुक्त स्थलों पर स्वास्थ्यप्रद पेयजल की पर्याप्त आपूर्ति का उपबन्ध करने और उसे अनुरक्षित करने के लिये प्रभावी व्यवस्था करना होगा ।

कल्याणकारी
उपबन्ध

(2) प्रत्येक नियोक्ता को पुरुष और महिला के लिए पृथक—पृथक शौचालय और मूत्रालय की यथाविहित रूप में व्यवस्था करना होगा जो इस प्रकार से सुविधाजनक रूप में अवस्थित होंगे, जो दुकान या अधिष्ठान में नियोजित कर्मचारों की पहुँच में हों :

परन्तु उस दशा में, जब स्थान की कमी या अन्यथा कारण से किसी दुकान या अधिष्ठान में ऐसा करना संभव न हो, तो कतिपय नियोक्ता सामूहिक सुविधाओं की व्यवस्था कर सकते हैं ।

(3) ऐसी प्रत्येक दुकान या वाणिज्य अधिष्ठान में, जिसमें बीस या उससे अधिक स्त्री कर्मकार सामान्यता नियोजित हों, ऐसी स्त्री कर्मकारों के बालकों के उपयोग के लिए शिशु सदन के रूप में उपर्युक्त कक्ष उपलब्ध कराये जाएंगे और उनका अनुरक्षण किया जायेगा :

परन्तु यदि दुकान या वाणिज्य अधिष्ठान समूह एक किलोमीटर के घेरे के भीतर सामूहिक शिशु सदन उपलब्ध कराने का विनिश्चय करता है तो उसकी अनुमति निरीक्षक द्वारा किसी आदेश के माध्यम से उस आदेश में तथा विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन प्रदान की जायेगी ।

(4) प्रत्येक नियोक्ता को कार्यस्थल पर यथाविहित रूप में प्राथमिक उपचार सुविधाओं की व्यवस्था करनी होगी।

(5) राज्य सरकार नियोक्ता से ऐसी दुकान या वाणिज्य अधिष्ठान में, जिसमें 250 से अन्यून कर्मकार नियोजित हों या सामान्यता नियोजित हों, उन कर्मकारों के उपयोग के लिए कैन्टीन की व्यवस्था करने और उसे अनुरक्षित करने की अपेक्षा करेगी :

परन्तु यदि कोई दुकान या वाणिज्य अधिष्ठान समूह सामूहिक कैन्टीन की व्यवस्था करने का विनिश्चय करता है तो उसे निरीक्षक द्वारा किसी आदेश के माध्यम से उस आदेश में यथा विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन अनुमति प्रदान की जायेगी।

(6) राज्य सरकार नियोक्ता से ऐसी दुकान या वाणिज्य अधिष्ठान में, जिसमें 250 से अन्यून कर्मकार नियोजित हों या सामान्यता नियोजित हों, उन कर्मकारों के उपयोग के लिए कैन्टीन की व्यवस्था करने और उसे अनुरक्षित करने की अपेक्षा करेगी ;]¹

अध्याय-6

प्रवर्तन तथा शास्तियां

29—राज्य सरकार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के लिये एक मुख्य निरीक्षक और एक उप मुख्य निरीक्षक और उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के लिये उतने निरीक्षक, जितने आवश्यक समझे जायें, नियुक्त कर सकती है।

इंस्पेक्टरों की नियुक्ति

30—ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो नियत की जाये, इन्सपेक्टर हर उचित समय पर किसी ऐसे स्थान में, जो दुकान या वाणिज्य-अधिष्ठान हो या जिसे दुकान या वाणिज्य-अधिष्ठान मानने का उसके पास कारण हो, वहां रखे रजिस्ट्रों, अभिलेखों या अन्य लेख्यों की जांच करने के प्रयोजनार्थ, प्रवेश कर सकता है। इन्सपेक्टर अपनी सहायता के लिये ऐसे व्यक्तियों को अपने साथ ले जा सकता है जिन्हें वह आवश्यक समझे और उस स्थान का, जो उस समय स्वामी या अध्यासी हों, वह उन्हें प्रवेश करने देगा तथा उक्त रजिस्ट्रों, अभिलेखों या लेख्यों की जांच करने देगा। इन्सपेक्टर उनमें से ऐसे रजिस्ट्रों, अभिलेखों या अन्य लेख्यों का अभिग्रहण कर सकता है, जिनकी उसे इस अधिनियम या तदन्तर्गत बनाये गये नियमों के उपबन्धों का कोई उल्लंघन सिद्ध करने के प्रयोजनार्थ अपेक्षा हो।

इंस्पेक्टरों का प्रवेश करने आदि का अधिकार

31—धारा 29 के अधीन नियुक्त मुख्य निरीक्षक, उप मुख्य निरीक्षक तथा प्रत्येक निरीक्षक भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अर्थ में पब्लिक सरवेन्ट (लोक-सेवक) समझे जायेंगे।

निरीक्षक आदि लोक सेवक होंगे—
ऐक्ट संख्या 45, 1860

32—नियोजक ऐसे रजिस्टर तथा अभिलेख रखेगा और ऐसे नोटिस प्रदर्शित करेगा, जो नियत किये जायें।

रजिस्टर आदि

33—प्रत्येक व्यक्ति जो, धारा 20 की उपधारा (1) के उपबन्धों से भिन्न, इस अधिनियम या तदन्तर्गत बने नियमों के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करे या उनका अनुपालन न करे, इस अधिनियम के अधीन अपराध करने का दोषी होगा।

उपबन्धों का उल्लंघन

34—(1) यदि इस अधिनियम या तदन्तर्गत बने नियमों के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति कम्पनी हो, तो कम्पनी और प्रत्येक व्यक्ति, जो अपराध किये जाने के समय

कम्पनियो आदि द्वारा अपराध

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 29, 2018 की धारा 7 द्वारा बढ़ाया गया।

उसका कारोबार चलाने के निमित्त कम्पनी का अवधायक तथा उसके प्रति उत्तरदायी हो, अपराध करने का दोषी समझे जायेंगे और उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी तथा तदनुसार उन्हें दण्ड दिया जा सकेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि कोई उक्त व्यक्ति यह सिद्ध कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना हुआ था अथवा उसने उस अपराध को रोकने के लिये सभी प्रकार की यथोचित सावधानी बरती थी तो इस उपधारा की किसी बात से वह दण्ड का भागी नहीं होगा।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, यदि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी ने किया हो और यह सिद्ध हो जाय, कि अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति से या उसकी मौनानुकूलता से हुआ है अथवा यह कि अपराध उसकी किसी उपेक्षा के कारण हुआ है तो वह निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जायगा और उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी तथा तदनुसार उसे दण्ड दिया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिये —

(क) "कम्पनी" का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है और इसके अन्तर्गत कोई फर्म या व्यक्तियों का अन्य संघ (association) भी है ; और

(ख) फर्म के संबंध में "निदेशक" का तात्पर्य फर्म के साझीदार से है।

35—इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के दोषी व्यक्ति को अर्थ—दण्ड दिया जा सकेगा जो प्रथम अपराध के लिये एक सौ रुपये तक तथा प्रत्येक अनुवर्ती अपराध के लिये पांच सौ रुपये तक हो सकता है।

दण्ड

36—(1) कोई भी न्यायालय इस अधिनियम या तदन्तर्गत बने नियमों के अधीन किसी भी अपराध का संज्ञान (cognizance) न करेगा जब तक कि कथित अपराध किये जाने के दिनांक से छः मास के भीतर लिखित अभियोग प्रस्तुत न किया जाय।

अभियोजन की कालावधि

(2) कोई भी न्यायालय, जो द्वितीय श्रेणी के मैजिस्ट्रेट के न्यायालय से, निम्न श्रेणी का हो, इस अधिनियम या तदन्तर्गत बने नियमों के अधीन किसी अपराध की सुनवाई न करेगा।

न्यायालय जो इस अधिनियम के अधीन अपराधों की सुनवाई के लिए अधिकृत होंगे

¹ [(3) इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का शमन अभियोजन संस्थित किये जाने के पूर्व या पश्चात् मुख्य निरीक्षक द्वारा राज्य सरकार के इस निमित्त किसी सामान्य या विशेष आदेश के अधीन रहते हुए अपराध के लिए नियत अर्थ दंड की अधिकतम धनराशि से अनधिक शमन फीस को ऐसी धनराशि, जिसे वह उचित समझे, वसूल करने पर किया जा सकेगा, और जहां अपराध का इस प्रकार शमन —

(i) अभियोजन संस्थित किये जाने के पूर्व किया जाय, वहां अपराधी ऐसे अपराध के लिए अभियोजित नहीं किया जायेगा और यदि अभिरक्षा में हो तो निर्मुक्त कर दिया जायेगा;

(ii) अभियोजन संस्थित किये जाने के पश्चात् किया जाय, जहां शमन का प्रभाव अपराधी को दोषमुक्ति का होगा।]

1. उ० प्र० अधिनियम सं० 35, 1979 की धारा 8 द्वारा बढ़ाया गया।

अध्याय-7

विविध

37—इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकारी या प्राधिकारी के विरुद्ध ऐसे कार्य के लिये, जो इस अधिनियम या तदन्तर्गत बनाये गये नियमों अथवा दिये गये आदेशों के उपबन्धों के अनुसरण में सम्भावना में किया गया हो या किये जाने के लिये अभिप्रेत हो, न तो कोई वाद या अभियोजन प्रस्तुत किया जायगा और न अन्य विधिक कार्यवाही की जायगी।

इस अधिनियम के अधीन की गयी कार्यवाही का संरक्षण

38—जब कोई दुकान या वाणिज्य अधिष्ठान वस्तुतः खुला हो तो परिकल्पना (presumption) यह की जायेगी कि वह किसी ग्राहक की सेवा के लिये या दुकान या वाणिज्य अधिष्ठान में सामान्यतः किये जाने वाले कारोबार, व्यापार अथवा निर्माण के लिये खुला है।

परिकल्पना

39—वर्कमेंस कम्पेन्सेशन ऐक्ट, 1923 तथा तदन्तर्गत बनाये गये नियमों के उपबन्ध, दुकान या वाणिज्य अधिष्ठान के प्रत्येक कर्मचारी पर, आवश्यक परिवर्तनों के साथ प्रवृत्त होंगे।

वर्कमेंस कम्पेन्सेशन ऐक्ट तथा रूल्स का प्रवृत्त होना ऐक्ट संख्या 8, 1923

40—(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये [अधिसूचना द्वारा नियम बना सकती है]¹।

नियम बनाने का अधिकार

(2) विशेषतः और पूर्वोक्त अधिकार की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना राज्य सरकार निम्नलिखित समस्त या किन्हीं विषयों के संबंध में नियम बना सकती है, अर्थात् —

(क) नियोजक द्वारा रखे जाने वाले रजिस्टर तथा अभिलेख ;

(ख) नियोजक द्वारा प्रदर्शित किये जाने वाले नोटिस ;

2 [(ख-1) अध्याय 1—क के अधीन दुकानों और वाणिज्य अधिष्ठानों के रजिस्टर का प्रपत्र ;

(ख-2) अध्याय 1—क के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र की दूसरी प्रति जारी करने के लिए फीस ;

(ख-3) अध्याय 1—क के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र का प्रपत्र ;]

(ग) कटौतियां, जो कर्मचारी की मजदूरी से की जा सकती है ;

(घ) अर्थ-दण्ड तथा पदच्युति ;

(ङ) आकस्मिक छुट्टी की स्वीकृति और उक्त छुट्टी की अवधि की मजदूरी के भुगतान को विनियमित करना ;

(च) अन्य छुट्टियों की स्वीकृति को विनियमित करना ;

(छ) प्रसूति-लाभ और उनका भुगतान ; और

(ज) ऐसे विषय, जो इस अधिनियम के अधीन नियत किये जाने हों या जो नियत किये जा सकें।

(3) इस अधिनियम के अधीन नियम इसी शर्त पर बनाये जा सकेंगे कि उनका पूर्व प्रकाशन किया जाय।

(4) [***]³

1. उ० प्र० अधिनियम सं० 54, 1976 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित।

2. उ० प्र० अधिनियम सं० 54, 1976 की धारा 4 द्वारा बढ़ाया गया।

3. उ० प्र० अधिनियम सं० 54, 1976 की धारा 4 (iii) द्वारा निकाला गया।

41—यूनाइटेड प्राविंसेज शाप्स ऐन्ड कामर्शियल इस्टैब्लिशमेन्ट्स ऐक्ट, 1947 निरसन यू० पी० ऐक्ट संख्या 22, 1947
निरस्त किया जाता है ।

अनुसूची 1

[धारा 1 (3) देखिये]

भाग क

निम्नलिखित क्षेत्रों में स्थित सभी दुकानों तथा वाणिज्य अधिष्ठानों पर इस अधिनियम के सब उपबन्ध प्रवृत्त होंगे :-

नाम	क्षेत्र जिनमें इस अधिनियम के सब उपबन्ध प्रवृत्त होंगे
1—आगरा . .	म्युनिसिपल तथा कैंन्टोनमेन्ट क्षेत्र
2—इलाहाबाद . .	तदैव
3—बरेली . .	तदैव
4—कानपुर . .	तदैव
5—देहरादून . .	तदैव
6—झांसी . .	तदैव
7—मेरठ . .	तदैव
8—मसूरी . .	तदैव
9—मथुरा . .	तदैव
10—नैनीताल . .	तदैव
11—सीतापुर . .	तदैव
12—रामपुर . .	तदैव
13—शाहजहांपुर . .	तदैव
14—वाराणसी . .	म्युनिसिपल तथा कैंन्टोनमेन्ट क्षेत्र और लंका, विद्यापीठ रोड, भोजूबीर, शिवपुर और पांडेपुर के आसन्नवर्ती क्षेत्र ।
15—लखनऊ . .	म्युनिसिपल तथा कैंन्टोनमेन्ट क्षेत्र और चारबाग, आलमबाग, नोटीफाइड एरिया और चांदगंज कला, आलमबाग और मवइया के आसन्नवर्ती क्षेत्र ।
16—फर्रुखाबाद एवं फतेहगढ़ . .	म्युनिसिपल तथा कैंन्टोनमेन्ट क्षेत्र और लालबाग, बड़पुर, नेकपुर और भोलेपुर के आसन्नवर्ती क्षेत्र ।
17—अलीगढ़ . .	म्युनिसिपल क्षेत्र

नाम	क्षेत्र जिनमें इस अधिनियम के सब उपबन्ध प्रवृत्त होंगे
18—फिरोजाबाद	म्युनिसिपल क्षेत्र
19—फैजाबाद	तदैव
20—गोरखपुर	तदैव
21—हापुड़	तदैव
22—हाथरस	तदैव
23—मुजफ्फरनगर	तदैव
24—सहारनपुर	तदैव
25—गोन्डा	तदैव
26—गाजियाबाद	तदैव
27—कायमगंज	तदैव
28—मिर्जापुर	तदैव
29—बुलन्दशहर	तदैव
30—बाराबंकी	तदैव
31—बांदा	तदैव
32—हरदोई	तदैव
33—जौनपुर	तदैव
34—पीलीभीत	तदैव
35—उरई	तदैव
36—बहराइच	तदैव
37—सुल्तानपुर	तदैव
38—आजमगढ़	तदैव
39—इटवा	तदैव
40—रायबरेली	तदैव
41—पडरौना	तदैव
42—हमीरपुर	तदैव
43—बस्ती	तदैव
44—मैनपुरी	तदैव
45—उन्नाव	तदैव
46—प्रतापगढ़	तदैव
47—देवरिया	तदैव

नाम	क्षेत्र जिनमें इस अधिनियम के सब उपबन्ध प्रवृत्त होंगे
48—लखीमपुर—खीरी . .	म्युनिसिपल क्षेत्र
49—गाजीपुर . .	तदैव
50—बिजनौर . .	तदैव
51—फतेहपुर . .	म्युनिसिपल क्षेत्र तथा कलक्टरगंज, हरिहरगंज, रेलबाजार, देवीगंज और राधानगर के आसन्नवर्ती क्षेत्र
52—कन्नौज . .	म्युनिसिपल क्षेत्र और सराय श्रीरन और मकरन्दनगर के आसन्नवर्ती क्षेत्र
53—बलिया . .	म्युनिसिपल क्षेत्र
54—चन्दौसी . .	तदैव
55—कासगंज . .	तदैव
56—भदोई (वाराणसी) . .	तदैव
57—रामनगर (नैनीताल) . .	तदैव
58—हल्द्वानी . .	तदैव
59—शामली (मुजफ्फरनगर) . .	तदैव
60—बदायूं . .	तदैव
61—शिकोहाबाद (मैनपुरी) . .	तदैव
62—काशीपुर (नैनीताल) . .	तदैव
63—महोबा (हमीरपुर) . .	तदैव
64—मुरादाबाद . .	म्युनिसिपल क्षेत्र और रेलवे सेटिलमेन्ट नोटिफाइड एरिया, रेलवे स्टेशन और रेलवे इंस्टीट्यूट ।

भाग ख

निम्नलिखित क्षेत्रों में स्थित सभी दुकानों तथा वाणिज्य अधिष्ठानों पर धारा 2, 3, 8, 9, 12, 13, 15, 19, 32, 33, 34, 35 और 40 के उपबन्ध प्रवृत्त होंगे :—

नाम	क्षेत्र जिनमें उक्त धाराएं प्रवृत्त होंगे
1—रुड़की . .	म्युनिसिपल तथा कैंन्टोनमेन्ट क्षेत्र
2—खुर्जा . .	म्युनिसिपल क्षेत्र

नाम	क्षेत्र जिनमें उक्त धाराएं प्रवृत्त होंगे
3—हरद्वार . .	म्युनिसिपल क्षेत्र
4—बलरामपुर (गोण्डा) . .	तदैव
5—मऊनाथमंजन . .	तदैव
6—तिलहर . .	तदैव
7—नगीना . .	तदैव
8—नजीबाबाद . .	तदैव
9—देवबन्द (सहारनपुर) . .	तदैव
10—शाहाबाद (हरदोई) . .	तदैव
11—पंडितवारी (देहरादून) . .	तदैव
12—जालौन . .	तदैव
13—अमेठी . .	तदैव
14—करवी (बांदा) . .	तदैव
15—मुगलसराय . .	तदैव
16—टांडा (फैजाबाद) . .	तदैव
17—गौरा—बरहज (देवरिया) . .	तदैव
18—कौराना (मुजफ्फरनगर) . .	तदैव
19—बड़ौत (मेरठ) . .	तदैव
20—वृन्दावन (मथूरा) . .	तदैव
21—मवाना (मेरठ) . .	तदैव
22—जलालपुर (फैजाबाद) . .	तदैव
23—कोटद्वारा (गढ़वाल) . .	तदैव
24—एटा . .	तदैव
25—ललितपुर (झांसी) . .	तदैव
26—मऊरानीपुर (झांसी) . .	तदैव
27—सम्भल (मुरादाबाद) . .	तदैव
28—अमरोहा (मुरादाबाद) . .	तदैव
29—चांदपुर (बिजनौर) . .	तदैव
30—अल्मोड़ा . .	तदैव
31—बीसलपुर (पीलीभीत) . .	तदैव
32—बिसवां (सीतापुर) . .	तदैव

नाम	क्षेत्र जिनमें उक्त धाराएं प्रवृत्त होंगे
33—गोलागोकरननाथ (खीरी) . .	म्युनिसिपल क्षेत्र
34—कोंच (जालौन) . .	तदैव
35—कालपी (जालौन) . .	तदैव
36—खतौली (मुजफ्फरनगर) . .	तदैव
37—औरैया (इटवा) . .	तदैव
38—धामपुर (बिजनौर) . .	तदैव
39—सिकन्दराबाद (बुलन्दशहर) . .	तदैव
40—ऋषिकेश (देहरादून) . .	तदैव
41—उझानी (बदायूं) . .	तदैव
42—भरथना (इटवा) . .	टाउन एरिया
43—रसड़ा (बलिया) . .	नोटिफाइड एरिया
44—शाहगंज (जौनपुर) . .	तदैव
45—छिबरामऊ (फर्रुखाबाद) . .	टाउन एरिया
46—मोदीनगर (मेरठ) . .	तदैव

भाग ग

राज्य में स्थित वेक्यूम पान शुगर फैक्टरियों के उन सब कर्मचारियों पर इस अधिनियम के सब उपबन्ध प्रवृत्त होंगे, जिन पर कि फैक्टरीज ऐक्ट, 1948 के उपबन्ध प्रवृत्त नहीं होते हैं।

भाग घ

राज्य में स्थित सब गन्ना सहकारी समितियों के वाणिज्य-अधिष्ठानों पर इस अधिनियम के सब उपबन्ध प्रवृत्त होंगे।

अनुसूची 2

(दुकानों तथा वाणिज्य-अधिष्ठान जिन पर धारा 5 तथा 8 के उपबन्ध प्रवृत्त न होंगे।)

1—ऐसी दुकानें तथा वाणिज्य-अधिष्ठान जो अनन्यतः या मुख्यतः भोजन, जलपान, समाचार-पत्रों तथा नियतकालिक पत्रिकाओं, औषधियों, चिकित्सकीय तथा शल्य उपकरणों, शाक-सब्जी, मिठाइयों, दूध, पकाये हुए भोजन, फूल, पान और सुपारी, मांस-मछली, कुक्कुटादि (Poultry), शिकार किये हुए पशु-पक्षी, अण्डों, बर्फ तथा ताजे फल और हरे चारे का व्यवसाय करते हैं।

2—सिनेमा, नाट्यशाला तथा सार्वजनिक विनोद या मनोरंजन के अन्य स्थान।

3—क्लब तथा निवास-स्थान युक्त होटल।

4—रेल के स्टेशनो पर के स्टाल तथा जलपान—गृह।

5—ऐसी दुकानें जो मोटर स्प्रिट तथा मोटर अथवा वायुयान के अतिरिक्त भागों और सहायक सामान की बिक्री करते हों।

6—नाइयों तथा केश—प्रसाधकों की दुकानों तथा अधिष्ठान।

7—सरकार से लाइसेंस प्राप्त ऐसी दुकानें तथा अधिष्ठान जो मद्यद्रवों या स्वापक भेषजों (Narcotic drugs) का व्यवसाय करते हों।

8—अनन्यतः या मुख्यतः शव दफनाने, अन्त्येष्टि के लिए ले जाने तथा दाह—संस्कार के लिए आवश्यक वस्तुओं का व्यवसाय करने वाली ऐसी दुकाने, जो नियत रीति से कलेक्टर द्वारा विज्ञापित की जायें।

9—अनन्यतः या मुख्यतः पेट्रोमैक्स, बैण्ड तथा लाउड स्पीकर, जिनकी अपेक्षा विवाह तथा अन्य अनुष्ठानों के अवसरों के लिए की जाती है, किराये पर देने का व्यवसाय करने वाली दुकानें।

10—पूर्त प्रयोजनों के लिए आयोजित प्रदर्शनी, सार्वजनिक प्रदर्शन, मेलों या बाजारों में दुकान।

11—परिवहन सेवाएं।

12—बिजली तथा जल—सम्भरण प्रतिष्ठान।

13—अनन्यतः या मुख्यतः साइकिलों, रिक्शों, तांगा, इक्का तथा बैलगाड़ी की मरम्मत करने वाली दुकानें।